न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 38/2016
दायर दिनांक :– 01/02/2022
निर्णय दिनांक :– 14.06.2022

उनवान

1. श्री कालू पिता रूपा धोबी निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री जीतू पिता रूपा धोबी निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर (मृतक)
   1/1 भैरूलाल पुत्र जीतू धोबी निवासी जाशमा
   1/2 मंजू पुत्री जीतू धोबी निवासी जाशमा
   1/3 माया पुत्री जीतू धोबी निवसी जाशमा
   1/4 राधा पुत्री जीतू धोबी निवासी जाशमा
   1/5 शांता पुत्री जीतू धोबी निवासी जाशमा
   1/6 सोसरबाई पत्नी जीतू धोबी निवासी जाशमा
2. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री मांगीलाल बैरवा

–: निर्णय :–

वकील वादी की और से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसक संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। यह है कि मौजा जाशमा पटवार हल्का जाशमा तहसील भूपालसागर के हल्के बेरुनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात आ.न. 2699 रकबा 0.60 है., आ.सं. 2700 रकबा 0.50 है. किता 2 रकबा 1.10 हैक्ट. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवानें हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का [illegible] अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मि[illegible] एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2017 [illegible] द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.21 12:34:12 IST
Reason: SelfAttested

बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

क्र.सं.	काश्तकार	आ.नं.	रकबा
1	कालू पुत्र रूपा धोबी निवासी जाशमा	2700/1 2699/2	0.48 है. 0.07 है.
2	भैरूलाल, मंजू, माया, राधा, शांता पिता जीतू सोसरबाई पत्नी जीतू धोबी सा.देह खातेदार	2700/2 2699/1	0.02 है. 0.53 है.

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार, भूपालसागर को राजस्व रिकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.21 12:34:12 IST
Reason: SelfAttested